`` **प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

एकल पीठः मानननीय श्री राधे श्याम शर्मा,न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 594 /2004

सिकुल बाई

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु दिनांक 14-08-2012 को सूचीबद्ध करे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

श्री राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठः माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीश

दांडिक अपील कर्मांक 594/2004

अपीलार्थी सिकुल बाई,पति स्व लल्लू प्रसाद शर्मा

उम्र लगभग 40 वर्ष,व्वसाय गृहणी,

निवासी विलेज नगर,पुलिस थाना बैकुंठपुर,पुलिस चौकी चर्चा

जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः

श्री अखिलेश मिश्रा , श्री अभय तिवारी व श्री सी.आर. साहु की ओर से ,अपीलार्थी के अधिवक्ता

श्री आर आर सिन्हा , राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता /प्रत्यर्थी।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन दांडिक अपील

निर्णय

(14 अगस्त.2012 को प्रदत्त)

1.यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ,बैकुंठपुर (कोरिया) द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 37/2004 में दिनांक 28-06-2004 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत है। उक्त निर्णय में,अभियुक्त अपीलार्थी सिकुल बाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के

अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और उसे 6 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है, जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 2 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताना होगा ।

2.अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार हैः

अपीलार्थी मृतक लल्लू प्रसाद की विधवा है। मृतक को शराब पीने की आदत थी और वह झगडालू स्वभाव का था। 14-12-2003 को भी,मृतक शराब पीने के बाद अपीलार्थी से झगडा कर रहा था । मृतक ने अपीलार्थी के बाल पकड कर खींचे। इस पर अपीलार्थी ने ईट उठाकर मृतक के सिर पर वार किया। मृतक के सिर पर चोट आई। मृतक को चरचा अस्पताल ले जाया गया । अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। पूरन सिंह(असा-8) ने पुलिस चौकी चरचा में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-21) दर्ज कराई और पुलिस थाने बैकुंठपुर (कोरिया) में नियमित एफआईआर (प्रदर्श पी-13) और मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-14) भी दर्ज कराई गई । जांच अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे,पंचो को नोटिस (प्रदर्श पी-1)दिया और मृतक के शव का शव परीक्षण (प्रदर्श पी-2) किया । मृतक के शव को शव परीक्षण के लिये प्रदर्श पी-9 क के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,बैकुंठपुर भेजा गया । डा.डी.के.चिकनजुरी(असा-5) ने मृतक के शव का मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) दी,जिसमें उन्होंने दाहिनी भौं पर 2 इंच x1.5 इंच का फटा हुआ घाव और खोपड़ी पर धंसा हुआ अस्थिभंग पाया। उन्होने मत दिया कि मृत्यु सिर में चोट लगने से हुई और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक है।आगे की जांच में ,पटवारी राधा शरण व्यास (असा-6) ने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पृष्ठ-3) तैयार किया और जांच अधिकारी ने भी घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पृष्ठ-4) तैयार किया । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपीलार्थी का मेमोरेंडम बयान (प्रदर्श पृष्ठ-15) दर्ज किया गया और उसकी निशानदेही पर ईंटो के टुकड़े (प्रदर्श पृष्ठ-17) और अपीलार्थी की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साड़ी (प्रदर्श पृष्ठ-18) के माध्यम से जब्त की गई । घटनास्थल से सादी मिटटी और खून से सनी मिटटी (प्रदर्श पृष्ठ-16) भी जब्त की गई। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर (प्रदर्श पी-22) भेजा गया था। वहां से रिपोर्ट (प्रदर्श पी-24) प्राप्त हुई। प्रदर्श पी-24 में पाया गया कि वस्तुएं रक्त से सनी हुई थीं। जांच पूरी होने के बाद, बैकुंठपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अपीलार्थी के खिलाफ अभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को अंबिकापुर के सत्र न्यायालय को उपार्पित किया, जहां से इसे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैकुंठपुर (कोरिया) को स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्होंने विचारण किया और अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश मिश्रा ने तर्क दिया कि राजीव मिश्रा (असा-9) को छोड़कर, अभियोजन पक्ष के किसी भी साक्षी ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। राजीव मिश्रा (असा-9) का साक्ष्य ठोस और विश्वसनीय नहीं है और विरोधाभासों से भरा है। इसलिए, केवल राजीव मिश्रा (असा-9) के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी नहीं की जा सकती और अपीलार्थी दोषमुक्त किये जाने का हकदार है।

4. राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री आर.आर. सिन्हा ने आक्षेपित फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई सजा और दोषसिद्धी में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओ की बात सुनी है और सत्र परीक्षण संख्या 37/2004 के अभिलेख का भी अवलोकन किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धी राजीव मिश्रा (अ.सा-9) और राजकुमार (अ.सा-3) के साक्ष्य और रक्त रंजित ईट के टुकड़े की अपीलार्थी द्वारा दिये गये मेमोरेंडम कथन के आधार पर बरामदगी पर आधारित है।

6. रंजीत सिंह व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 2011 एससी 255 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया -

17. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, किसी आरोपी के दोषी ठहराने के लिए एक साक्षी द्वारा दिया गया विश्वसनीय साक्ष्य पर्याप्त होगा, जबकि आधा दर्जन अविश्वसनीय साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य दोषसिद्धी को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह बात निः संदेह सत्य है लेकिन जहां किसी दांडिकन्यायालय को ऐसे साक्ष्यों से निपटना होता है जो बड़ी संख्या में अपराधियों और बड़ी संख्या में पीड़ितों से जुड़े अपराध के घटित होने से संबंधित हों, वहां आमतौर पर यह परीक्षण अपनाया जाता है कि दोषसिद्धी तभी बरकरार रखी जा सकती है जब घटना का सुसंगत विवरण देने वाले दो, तीन या अधिक साक्षियों द्वारा इसका समर्थन किया जाए। एक अर्थ में, इस परीक्षण को यांत्रिक कहा जा सकता है। लेकिन यह समझना कठिन है कि इसे तर्कहीन या अनुचित कैसे माना जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. मुथु नाइकर व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एआईआर 1978 SC 1647 के मामले में इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि किसी साक्षी पर बड़ी संख्या में व्यक्तियों से बनी विधिविरूद्व जमाव सभा क सदस्यों द्वारा हमला किया गया हो, तो न्यायालय को ऐसे साक्षी की विश्वसनीयता के प्रश्न पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। यदि न्यायालय का यह मत हो कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसे साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, तो उसे इस बात पर जोर देना चाहिए कि ऐसी साक्ष्य की पुष्टि किसी अन्य साक्षी द्वारा की जाए या फिर न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले एक से अधिक अन्य साक्षियों की आवश्यकता हो सकती है।

19. ऐसा कोई साक्ष्य का **नियम नहीं है कि किसी भी दोषसिद्धी को तब तक आधार नहीं बनाया जा सकता जब तक कि साक्षियों की एक निश्चित न्यूनतम संख्या ने किसी विशेष आरोपी की पहचान विधिविरूद्ध जमाव सभा के सदस्य के रूप में न कर ली हो। यह सर्वविदित है कि साक्ष्य की गिनती नहीं की जाती बल्कि उसका मूल्यांकन किया जाता है और साक्ष्य की मात्रा नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता मायने रखती है। यहां तक कि एक अकेले साक्षी की साक्ष्य भी, यदि पूरी तरह से विश्वसनीय हो, तो आरोपी की पहचान विधिविरूद्ध जमाव सभी के सदस्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। यही स्थिति तब भी लागू होती है जब विधिविरूद्ध जमाव सभा का आकार काफी बड़ा हो (जैसा कि इस मामले में है) और कई लोगों ने घटना को देखा हो।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 14 एससीसी 150 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करने के लिए साक्ष्य की मात्रा नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ठ है कि भारतीय विधिक प्रणाली में अनेक साक्षियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। न तो विधायिका (साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 134) और न ही न्यायपालिका यह अनिवार्य करती है कि किसी अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्ध का आदेश देने के लिए साक्षियों की एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। हमारी विधिक प्रणाली ने हमेशा साक्ष्य की मात्रा, बहुलता या अनेक साक्षियों की संख्या के बजाय उसके मूल्य, महत्व और गुणवक्ता पर बल दिया है। अतः सक्षम न्यायालय के लिए यह उचित है कि वह पूर्णतः एक अकेले साक्षी पर ही भरोसा करके दोषसिद्धी अभिलिखित करें।

8. राजीव मिश्रा (अ.सा-9) ने साक्ष्य दिया कि उनकी किराने की दुकान रेलवे स्टेशन के पास स्थित थी। शाम लगभग 4-5 बजे शोर सुनकर वे दुकान से बाहर आए। उन्होंने देखा कि मृतक और अपीलार्थी आपस में झगड़ रहे थे। अपीलार्थी ने मृतक पर ईट से हमला

किया। मृतक ने अपीलार्थी को हमला करने से रोका। ईट लगने से मृतक घायल हो गया और खून बहने लगा। उसने मृतक को अस्तपताल ले जाने की सलाह दी। राजकुमार (अ.सा-3) ने साक्ष्य दिया कि घटना वाले दिन वह रेलवे स्टेशन के पास बस का इंतजार कर रहा था। उस समय अपीलार्थी एक दुकान की ओर जा रही थी। मृतक भी उसके पीछे जा रहा था। इसके बाद दोंनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसने उन्हें झगड़ने से रोका । इसके बाद वह एक वाहन से पोड़ी चला गया।

9. पूरन सिंह (अ.सा -8) ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने मृतक की मृत्यु के संबंध में पुलिस चौकी चरचा को सूचना दी थी। एएसआई एम.जे. फिरदौसी (अ.सा -11) ने साक्ष्य दी कि दिनांक 14-12-2003 को पूरन सिंह (अ.सा -8) ने पुलिस चौकी चरचा में एफआईआर (प्रदर्श -21) दर्ज कराई थी। इसके बाद, थाना बैकुंठपुर में नियमित एफआईआर (प्रदर्श -13) और मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-14) भी दर्ज की गई। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि उन्होंने मृतक के शव का मृत्युसमीक्षा प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-2) तैयार किया और शव को शव परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल बैकुंठपुर भेज दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. डॉ.डी. के. चिकनजुरी (अ.सा-5) ने साक्ष्य दिया कि दिनांक 15-12-2003 को उन्होंने मृतक के शव का शव परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9)दी, जिसमें उन्होंने दाहिनी भौंह के ऊपर 2x1/1/2 इंच का फटा हुआ घाव, चेहरे पर सूजन और खोपड़ी में धंसा हुआ अस्थिभंग पाया। उन्होंने राय दी कि मृतक की मृत्यु सिर में चोट लगने से हुई थी और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी।

11. मैंने राजीव मिश्रा (अ.सा-9) के बयान का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि अपीलार्थी ने मृतक पर ईट से हमला किया था। उनके बयान की पुष्टि राजकुमार (अ.सा-3) के बयान और चिकित्सा साक्ष्य से भी होती है। राजीव मिश्रा

(अ.सा-9) का बयान ठोस और निर्णायक है। अपीलार्थी को झूठा फंसाने का उनका कोई हेतुक नहीं था।

12. घटना के प्रत्यक्षदर्शी राजीव मिश्रा (अ.सा-9) के संपूर्ण साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने पर, मैं पाता हूँ कि उनका साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है और अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए आधार बनाया जा सकता है, अतः माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा राजीव मिश्रा (अ.सा-9) के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराने के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. उपरोक्त कारणों से, मुझे अपील में कोई सार नहीं मिलता, यह खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतदद्वारा खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By AMIT TIWARI